National Institute for The Orthopaedically Handicapped

5786. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to build one top-class National Institute for the Orthopaedically handicapped in every State;

(b) whether it is a fact that such facilities are not available in every State; and

(c) what proposals are there in the 8th Plan's concluding years to establish institutes of a similar calibre as the NIOH, Calcutta, in other parts of the country?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) No Sir.

(b) So far as the facilities of fitting of aids/appliances and corrective surgery are concerned, most of the Medical Colleges, located in different States, have such facilities. It may also be mentioned that besides NIOH, the National Institute for Rehabilitation Training & Research, Cuttack and All India Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay, have similar facilities. Institute for the Physically Handicapped (IPH), New Delhi, has all the facilities except the facility of corrective surgery.

(c) There is no proposal to establish National Institute in other parts of the country. However, there is a proposal to establish two regional centres of NIOH in the current financial year.

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं

5787. **श्री नरेश यादव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आम आदमी के लाभ के लिए कार्य करने हेतु नव गठित स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है;

(ग) क्या कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए अधिकाधिक सरकारी सहायता की मांग करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी): (क) एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ख) कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते वे संबंधित क्षेत्र में 2 से लेकर 3 वर्षों से लगे हुए हों।

(ग) से (ङ) स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता की मंजूरी से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

वे कल्याण योजनाएं/कार्यक्रम जिनके कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

1. **एस०सी०डी०** "अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" की योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है:—

(क) विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों, होस्टलों सचल चिकित्सा औषधालयों आदि की स्थापना।

(ख) विभिन्न व्यवसायों जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टंकण और आशुलिपि, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि में स्व-रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2. **अनुसूचित जनजाति विकास**

1. गैर-आवासीय विद्यालयों का रख-रखाव।
2. होस्टलों का रख-रखाव।
3. आवासीय विद्यालयों का रख-रखाव।
4. बालवाड़ी/शिशु केन्द्रों का रख-रखाव।
5. सचल औषधालयों का रख-रखाव।
6. औषधालय/10 बिस्तरों वाले अस्पताल का रख-रखाव।
7. पुस्तकालय का रख-रखाव।
8. पुस्तकालय सहश्रव्य दृश्य एकक का रख-रखाव।

9. विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण।
10. अनु॰ जनजाति लड़कियों के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षणिक परिसर।

3. विकलांग कल्याण

सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता की योजना।

4. समाज रक्षा

(क) किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण।

(ख) बेसहारा बच्चों का कल्याण।

(ग) वयोवृद्धों से सम्बंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(घ) मद्यनिषेध एवं नशीली दवाओं के दुरूपयोग की रोकथाम (चेतना सृजनों और निवारक शिक्षा, नशीली दवा के बारे में चेतना सृजन परामर्श और सहायता केन्द्र निव्यसन सह-पुनर्वास केन्द्र निव्यसन शिविर इत्यादि)।

(ङ) समाज रक्षा सेवाओं के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन को सहायता।

(च) शिशुओं एवं अन्तः देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु गृहों (शिशु गृह)

5. अल्पसंख्यक कल्याण—

आर्थिक मानदंड पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग।

Commission for Handicapped Persons

5788. SHRI AJIT P.K. JOGI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to constitute a permanent commission for improving the educational, social and economic conditions of handicapped persons in the country and monitoring the implementation of welfare schemes formulated for them;

(b) whether Government have received representations regarding the constitution of a commission from some of the organisations connected with handicapped persons; and

(c) if so, what decision has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI); (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम

5789. **श्री सत्य प्रकाश मालवीयः**
श्री अनन्तराम जायसवालः

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को अपनी योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी धन राशि उपलब्ध कराने की योजना थी और निगम को वस्तुतः कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या निगम के आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई मान दंड निर्धारित किए है, यदि हां, तो उक्त मानदंड क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 में निर्धारित मानदंड के अनुसार ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की कुल संख्या क्या थी कितने आवेदकों को ऋण स्वीकृत किया गया और कितने आवेदकों को किस आधार पर ऋण अस्वीकृत किया गया;

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए निगम ने क्या कार्यक्रम बनाया है और इसके लिए कितनी धन राशि की मांग की है एवं सरकार ने निगम को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ङ) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों में निगम के कार्यकलापों की समीक्षा की है तथा सरकार से प्राप्त धन राशि का लेखा जोखा किया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के लिए वर्ष 1994-95 का 40 करोड़ रु॰ का आरम्भिक बजट प्रावधान किया गया था। इस निगम को 1994-95 के दौरान 23.77 करोड़ रु॰ और उपलब्ध कराकर कुल 63.77 करोड़ रु॰ की राशि प्रदान की गई। इस निगम से इस संबंध में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।